निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1936 (श0)

(सं0 पटना 347) पटना, बुधवार, 2 अप्रील 2014

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

19 जून 2013

सं0 8/व 3–34/2012–**771**—''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009'' की धारा–13(2) के अनुसार यदि किसी प्रारंभिक विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा विद्यालय की नर्सरी कक्षा में अथवा कक्षा I में नामांकन हेतु कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया (यथा टेस्ट, साक्षात्कार आदि) अपनाई जाती है तो इसे बच्चों के अधिकार का उल्लधन मानते हुए इसके लिए प्रथमवार ₹25000 (पचीस हजार) एवं तत्पश्चात पुनः उल्लंघन के लिए ₹50000 रूपये तक दण्ड दिया जा सकता है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा–18(5) एवं 19(5) के अन्तर्गत सरकार की बिना स्वीकृति प्राप्त किये यदि कोई प्रारंभिक विद्यालय संचालित रखा जाता है अथवा प्रस्वीकृति वापस लिए जाने के बाद भी विद्यालय को संचालित रखा जाता है तो इसके लिए दोषी व्यक्ति/संस्था को 1 लाख रूपया तक का जुर्माना किया जा सकता है अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रखने पर प्रत्येक दिन के लिए ₹10000 रू० जुर्माना किया जा सकता है। दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार को है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित अधिनियम की धारा–13(2), 18(5), एवं 19(5) के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने के लिए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा बिहार को सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है। यह आदेश अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 347-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in